



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265114
CG-DL-E-30072025-265114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3440]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3440]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3523(अ).— पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 2 अगस्त, 2024 की अधिसूचना सं.का.आ. 3122(ई) के क्रम में केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, गुजरात में दाहेज पत्तन {मैसर्स गुजरात कैमिकल पोर्ट लिमिटेड} हेतु पत्तनों पर नौचालन सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) के दिनांक 05.12.2023 के प्रमाण-पत्र सं.एनएसपीसी/058/2023 में अनुमत प्रचालनों के अनुसार समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात के लिए दिनांक 01.06.2025 से 23.06.2027 तक की अवधि के लिए अधिसूचना को एतद्वारा विस्तारित करती है।

[फा. सं. एम-25021/28/2024-एसएम]

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव (एसएम)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3523(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways S.O. 3122(E) dated 2nd August, 2024, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Dahej Port in Gujarat {M/s Gujarat Chemical Port Limited} for importing petroleum into India by sea in accordance with operations permitted in Navigational Safety at Ports Committee (NSPC) certificate number NSPC/058/2023 dated 05.12.2023 for a period from 01.06.2025 to 23.06.2027.

[F. No. M-25021/28/2024-SM]

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy. (SM)